

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

—: अधिसूचना :-

सं०—खाद्य (निदे०) प्र०—I—63/2025

3381

पटना, दिनांक— 02/12/2025

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CIVIL APPEAL NO 9982 OF 2024 (Arising out of SLP (C) No. 25612 of 2023) GANESH KUMAR RAJESHWAR RAO SELUKAR AND ORS VERSUS MAHENDRA BHASKAR LIMAYE AND ORS में दिनांक 21.05.2025 को पारित न्यायादेश एवं श्री अजय कुमार सिंह, सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, खगड़िया के अभ्यावेदन दिनांक 22.08.2025 एवं संगत मामले में पूर्व से विद्वान महाधिवक्ता, बिहार से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री अजय कुमार सिंह, सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, खगड़िया को दिनांक 01.12.2025 से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, खगड़िया में सदस्य के पद पर अगले आदेश तक (नए प्रस्तावित नियम के अनुसार नए सदस्य की नियुक्ति होने की अवधि तक) सेवा विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

21/12/25

(विभूति रंजन चौधरी)

निदेशक—सह—विशेष सचिव,
उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:— खाद्य (निदे०) प्र०—I—63/2025 3381

खाद्य, पटना/दिनांक 02/12/2025

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/वरीय कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया/निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, खगड़िया/जिला पदाधिकारी, खगड़िया/श्री अजय कुमार सिंह, सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, खगड़िया/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—05 (बजट शाखा)/प्रधान सचिव कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/25

निदेशक—सह—विशेष सचिव।

ज्ञापांक:— खाद्य (निदे०) प्र०—I—63/2025 3381

खाद्य, पटना/दिनांक 02/12/2025

प्रतिलिपि:— आई०टी० मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/12/25

निदेशक—सह—विशेष सचिव।